न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 3/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भोपालसिंह पुत्र भीमसिंहजी, जाति राजपूत,निवासी सामुजा, तहसील आहोर, पंचायत समिति जालोर,जिला जालोर		1.सरपंच,ग्राम पंचायत सामुजा 2.सरपंच, ग्राम पंचायत गोदन, पंचायत समिति जालोर,तहसील आहोर,जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19894
विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन,दिनांक 13.11.1979(प्र.सं.7/1978)

उपस्थिति :–
1.श्री भगाराम डी. परिहार,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री सतपाल पुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 3.1.2018

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत गोदन व वर्तमान ग्राम पंचायत सामुजा वर्ष 1978 में एक ही पंचायत,गोदन में ही थी। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत गोदन द्वारा सामुजा आबादी भूमि प्लोट सं. 17 की निलागी दिनांक 26 व 27.10.1978 में भाग लिया जिसमें सबसे उंची व अन्तिम बोली रूपये 230/–प्रार्थी भोपालसिंह के नाम स्वीकृत हुई। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 27.10.1978 को राशि 230/–में से 23/–रूपये जमा करवाये तथा पत्रावली अनुमोदनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति जालोर के पास भेजी, दिनांक 13.8.1979 को विकास अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत गोदन ने उक्त पत्रावली दिनांक 13.8.1979 को बकाया राशि 207/–कथित निलामी की जमा करने पर पट्टा बनाकर प्रार्थी के नाम दिया जाने का आदेश जारी किया, ग्राम पंचायत गोदन द्वारा पट्टा बनाया गया जो ग्राम पंचायत गोदन ने अपने कार्यालय में रखा तदुपरांत उक्त पत्रावली सरपंच, ग्राम पंचायत सामुजा में भेजी। मौके पर ग्राम पचायत गोदन के द्वारा प्रार्थी को कब्जा विवादित निलामी

S/d
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

प्लोट का दिया जिस पर भोपालसिंह ने चारो तरफ कम्पाउण्ड वॉल बनाकर उस पर बहैसियत मालिक कब्जा किया व प्रार्थी का सामान उक्त प्लोट पर पडा है। प्रार्थी का कथित निलामी की स्वीकृति मंजूर होने के बाद व प्रार्थी ने मौके पर Physical possession होने के बावजूद सरपंच ने बदनियतिपूर्वक राजनैतिक विवाद से दिनांक13.11.1979 की ग्राम पंचायत गोदन की ऑर्डर शीट after thought एवं surmise conjecture के आधार पर आधारित कर एक fabricated दस्तावेज बनाने की नियत से यह हवाला ऑर्डर शीट में दिया कि प्रार्थी को नोटिस प्राप्ति के बावजूद बकाया राशि जमा नही करवाई है। ग्राम पंचायत द्वारा बकाया राशि जमा करवाने का नोटिस जारी करने कर पोस्टल रसीद पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नही होने बावजूद भी पंचायत ने कथित नोटिस को तामिल मानने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। पट्टा प्रार्थी के हक में बनाया जाने के बावजूद दिनांक 13.11.1979 को पंचायत गोदन के द्वारा खारिज किया गया है वह null and void है एवं जमा राशि जब्त करने का आदेश bad in law है। पट्टा खारिज होने व नोटिस जारी की जानकारी होने पर प्रार्थी ने नकले ग्राम पंचायत सामुजा में सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन करने पर दिनांक 10.3.2015 को प्राप्त हुई, तब जानकारी की तिथि से निगरानी अन्दर म्याद पेश की है। अतः ग्राम पंचायत गोदन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.1979 को खारिज फरमावे व दिनांक 10.12.1978 का आदेश बहाल रखा जावे तथा प्रार्थी भोपालसिंह राशि जमा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण के निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 13.11.1979 आदि की नकले पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 21.3.2016 को जवाब पेश किया कि प्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत गोदन में खसरा नम्बर 420 प्लोट सामुजा में आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु मुकद्मा सं.7/78 प्लोट सं.17 हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की। दिनांक 4.8.1978 को उक्त प्लोट के मौका निरीक्षण हेतु चन्दनसिंह,जोईताराम व राजा को नियुक्त किया गया तथा दिनांक 15.8.1978 को ग्राम पंचायत गोदन की बैठक में मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की तथा पंचायत द्वारा सर्वसम्मति में सार्वजनिक निलामी द्वारा बैचान करना तय किया गया जिसकी उजरदारी नोटिस प्रकाशन करने का तय किया गया तथा पत्रावली दिनांक 4.9.1979 को निहित की गई तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

उजरदारी जारी की गई, दिनांक 20.9.1979 को ग्रामसभा आयोजित की गई, कोई उजरदारी प्रस्तुत नही होने पर ग्राम सभा द्वारा यह तय किया गया कि इस प्लोट की निलामी 24.10.1978 से 25.1.1978 को सुबह 9.00 बजे सये 11.00बजे तक की जावे तथा निलामी का नोटिस प्रकाशित किया जावे। दिनांक 10.12.1978 को ग्राम सभा की बैठक आहुत की जिसमें प्लोट सं.17 की निलामी की सबसे उची व अन्तिम बोली प्रार्थी की रूपये 230/– आई जो स्वीकार की। खरीददार ने प्लोट के निलागी की 10 प्रतिशत राशि रूपये 23/– दिनांक 25.10.1978 को रसीद सं.22 से जमा करवा दिये है जिसकी स्वीकृति हेतु बैठक दिनांक 4.11.1978, 20.11.1978 व 1.12.1978 को बुलाई परन्तु कोरम के अभाव में बैठक स्थिगित की गई तथा इस प्लोट की स्वीकृति विकास अधिकारी से अनुमोदन हेतु लिखने का तय किया गया। दिनांक 13.8.1979 को पंचायत की बैठक में तय किया गया कि श्री भोपालसिंह से बकाया राशि 207/–रूपये जमा करवाकर पट्टा बनवाकर दिया जावे। दिनांक 13.10.1979 को बैठक में तय किया गया कि भोपालसिंह द्वारा प्लोट निलामी की राशि 207/–रूपये जमा नही करवाये है ,जिस हेतु नोटिस दिया गया है परन्तु रकम की प्राप्ति नही हुई है। दिनांक 13.11.1979 को बैठक में निर्णय लिया गया कि बकाया राशि जमा नही होने व कोई जवाब नही देने से भोपालसिंह का प्लोट सं.17 खारिज किया जाता है व प्लोट की वापिस निलामी की जावे, जमाशुदा राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नही बनाया गया था क्योंकि 207/–रूपये प्रार्थी ने जमा ही नही करवाये तो पट्टा बनवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः प्रार्थी की निगरानी प्रार्थनापत्र को खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व सरपंच ग्राम पंचायत गोदन का आदेश दिनांक 13.11.1979 को खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के वकील ने बहस में अपने जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 21.3.16में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थी की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। रैकार्ड में हमारे समक्ष केवल सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन की मिसल ही प्राप्त हुई जिसमें पट्टे की कार्यालय प्रति अंकित है,शेष रैकार्ड बैठक कार्यवाही रजिस्टर ,राशि जमा की रसीद आदि प्राप्त नही हुए है। ग्राम पंचायत गोदन द्वारा प्लोट की निलामी करने पर प्रार्थी द्वारा सबसे

Sd.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

उची बोली 230/–लगाई थी जिसमें से 23/– रू. रसीद सं. 22 से जमा करवाये थे,बकाया राशि 207/– जमा कराने पर प्रार्थी के नाम पट्टा बनाकर दिये जाने का आदेश ग्राम पंचायत गोदन द्वारा जारी किया था, ग्राम पंचायत गोदन ने पट्टा बनाकर अपने कार्यालय में रखा तथा बकाया राशि जमा नही कराने पर आदेशिका दिनांक 13.11.79 द्वारा उक्त पट्टे को खारिज किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थी वगैराह द्वारा पेश की गई है। बकाया राशि जमा कराने का प्रार्थी के नाम का नोटिस दिनांक 26.9.79 जो लेने से इन्कार का ग्राम पंचायत की पत्रावली में है जिस पर जावक रजिस्टर के क्रमांक व दिनांक अंकित नही है इस पर श्री पूनमाराम ,चपरासी का अंगुष्ठ निशान अंकित हैं, डाक से भी जो प्राप्ति रसीद मिसल के संलग्न है जिसमें 13.10.79 को भोपालसिंह, भवानीसिंह व भीमसिंह के हस्ताक्षर है,गुलाबसिंह के नोटिस की डाक से प्राप्ति रसीद पर तीनो के हस्ताक्षर होना विचारणीय बिन्दु है। इसके अलावा प्रार्थी ने पूर्ण राशि ही जमा नही करवाई तो पट्टा किन नियमों प्रक्रिया के तहत् तैयार किया गया, यह सोचनीय बिन्दु है। ग्राम सामूजा की ग्राम पंचायत अब गोदन नही होकर सामूजा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत गोदन के आदेश दिनांक 13.11.79 (मिसल सं.7/78)के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच,ग्राम पंचायत गोदन का आदेश दिनांक 13.11.1979 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सरपंच, ग्राम पंचायत सामूजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर (राज.)
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 3.1.2018को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जालोर (राज.)
जालोर